92

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1534–पी0बी0आर0/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 415/05–06 अपील

बुद्धाराम जाटव पुत्र घसीटा जाटव
(मृतक)वारिस
1– महिला रूकमणी देवी पत्नि बुद्धाराम
2– पुष्पेन्द्र पुत्र स्व. बुद्धाराम जाटव
निवासीगण ग्राम कटवांसा
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर ––आवेदक

विरूद्ध

1– जहार सिंह 2– हजरत सिंह
ग्राम कटवांसा तहसील चन्देरी
3– श्रीमती लाडोवाई पुत्री मोहनलाल
पत्नि उधमसिंह ग्राम जनोदा
तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर
4– श्रीमती जानकीवाई पत्नि खुकान
पुत्री मोहनलाल निवासी मलावनी
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर
5– श्रीमती रेखा पत्नि लाला पुत्री मोहनलाल
निवासी बेरासा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
6– म0प्र0शासन –– अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक 1 से 5 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 16 – 5 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 415/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.10.08 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम करवांसा स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 1.756 हैक्टर के भूमिस्वामी मृतक मोहनलाल थे। मोहनलाल की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी पर कार्यवाही प्रचलित हुई, किंतु वारिसान के बीच विवाद उत्पन्न होने से मामला तहसीलदार चन्देरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ जो प्रकरण कमांक 7/2003-03 अ-6 पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 10-6-2004 को नामान्तरण के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष बुद्धा पुत्र घसीटा ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण कमांक 7/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2005 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील कमांक 415/2005-06 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10-10-2008 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 7/2003-03 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 10-6-2004 से नामान्तरण आदेश दिये है। तहसीलदार चन्देरी व्दारा नामान्तरण प्रकरण में विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियॉ आमंत्रित की हैं तदुपरांत हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर नामान्तरण आदेश दिये हैं। आवेदकों के अभिभाषक का तर्क है कि मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में मृतक बुद्धा के हित

में बसीयतनामा संपादित किया, जिसके कारण वह वादोक्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार है और उसे तहसीलदार ने व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नहीं किया है तथा सुनवाई का मौका नहीं दिया, फिर भी अपीलीय न्यायालयों ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया है। विचार योग्य बिन्दु है कि मृतक मोहनलाल की पत्नि एंव पुत्र/पुत्री जीवित है, उनके जीवित रहते क्या मोहनलाल को वादोक्त भूमि बसीयत करने के अधिकार थे, जबकि अनावेदक के अभिभाषक मोहनलाल व्दारा धारित भूमि को पैत्रिक भूमि होना बता रहे हैं।

1985 राजस्व निर्णय 211 खिलान सिंह विरूद्ध मदन सिंह का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-

" भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 109, 110 - इच्छा पत्र के आधार पर नामान्तरण की मॉग - सहदायिकी संपत्ति - बटवारा सिद्व नहीं - संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य को इच्छा पत्र करने का अधिकार नहीं - नामान्तरण नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार 1995 राजस्व निर्णय 65 नारायण प्रसाद विरूद्ध तनुवाई का न्यायिक दृष्टांत है कि :-

" भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 109, 110 - विल के आधार पर नामान्तरण का दावा - विल करने की स्वभाविक परिस्थितियॉ सावित नहीं - संपत्ति से एक उत्तराधिकारी का अपवर्जन - ऐसी विल के आधार पर नामांत्रण नहीं किया जा सकता।

1995 राजस्व निर्णय 372 झिंगरी वाई विरूद्ध सुरेन्द्र का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-

1- भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 109, 110 - एक उत्तराधिकारी के हित में अरजिस्ट्रीकृत करार - करार

असली हो तब भी अन्य उत्तराधिकारियों का हक समाप्त नहीं किया जा सकता।

2- भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 50 - तथ्यों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।

तहसीलदार चन्देरी के आदेश दिनांक 10-6-2004, अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के आदेश दिनांक 28-3-2005 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 10-10-2008 के अवलोकन पर तीनों न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है परिणामतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा अपील क्रमांक 415/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2008 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर